न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– टी0ए0 50 सन् 2018
पंजीयन दिनांक :– 01.11.2018

1. रामलाल पिता गुल्ला गाडरी, निवासी करजिया, तहसील राशमी जिला चितौड़गढ
2. लक्ष्मण पिता गुल्ला गाडरी, निवासी करजिया, तहसील राशमी जिला चितौड़गढ

–अपीलांट्गण

विरूद्ध

1. शंकर पिता किशना गाडरी– मृतक के बजाय
   - 1/1. मुकेश पिता शंकर गाडरी, निवासी करजिया, तहसील राशमी जिला चितौड़गढ
   - 1/2. सांवरिया पिता शंकर गाडरी, निवासी करजिया, तहसील राशमी जिला चितौड़गढ
   - 1/3. सोनू पिता पिता शंकर गाडरी, निवासी करजिया, तहसील राशमी जिला चितौड़गढ
   - 1/4. राजी पिता शंकर गाडरी, निवासी करजिया, तहसील राशमी जिला चितौड़गढ
   - 1/5. टीना पुत्री शंकर गाडरी, निवासी करजिया, तहसील राशमी जिला चितौड़गढ
   - 1/6. सुन्दर बेवा शंकर गाडरी, निवासी करजिया, तहसील राशमी जिला चितौड़गढ
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी
प्रकरण संख्या 124/2012 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016

वक्त बहस उपस्थित–1.चन्दनमल जणवा– अधिवक्ता अपीलान्ट
2.राजेन्द्र कुमार सुखवाल– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 व 1/6 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3.रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2,1/3 व1/5 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4.पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्णय

दिनांक :- 13.07.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 88,188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करजीया के आराजी संख्या 38 से 43, 60, 61 व 79 कुल किता 09 रकबा 30 बीघा 7 बिस्वा कृषि आराजीयात अवस्थित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2-1/2 हिस्सा निहित है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2-1/2 हक हिस्सा घोषित किया जावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। उक्त पत्रावली दिनांक 03.08.2016 को वास्ते सुनवाई नियत थी किन्तु इससे पूर्व दिनांक 15.06.2016 को उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सांखली मे नियत कर दी गई जिसमे वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 02.12.2014 को ही हो चुकी है एवं वकील वादी द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही नही करवाई गई। वादपत्र को प्रतिवादी के अभाव में अबेट किया जावें। वकील प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुये वादपत्र को प्रतिवादी के अभाव में अबेट किये जाने के निर्णय एवं आदेश पारित किये गये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 15.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 व 1/6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/4 राजी स्वयं उपस्थित हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2, 1/3 व 1/5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों व वक्त बहस दिये गये तर्को एवं शपथ-पत्र में दर्शाये ठोस कारणों पर विचार के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि न्यायहित मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। फलतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 व 1/6 को दिनांक 09.02.2023 एवं दिनांक 10.04.2023 को बहस हेतु अंतिम अवसर दिये गये। दिनांक 03.05.2023 को भी न्यायहित में बहस हेतु अवसर दिया गया इसके उपरान्त भी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 व 1/6 दिनांक 12.07.2023 को बहस हेतु उपस्थित नही हुये जिससे अधिवक्ता अपीलांटगण वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 03.08.2016 को विचाराधीन थी किन्तु इससे पूर्व दिनांक 15.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प सांखली में बिना किसी सूचना के सुनवाई हेतु नियत कर दी गई। सूचना के अभाव में उभय पक्षकारान लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुये। वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 02.12.2014 को हो जाना कथन करते हुये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर वाद अबेट करवाने का निवेदन किया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को प्रतिवादी के अभाव में अबेट कर दिये जाने के निर्णय व आदेश पारित कर दिये गये। अपीलांटगण वादीगण को सूचना के अभाव में सुनवाई का अवसर नही मिला न ही प्रार्थना-पत्र की प्रति प्राप्त हुई और न ही जवाब देने का अवसर मिला। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना-पत्र पर एकतरफा कार्यवाही करते हुये प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर दावा अबेट करने का निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही है। न्यायिक दृष्टांत-2008(2) आर0एल0डब्ल्यू0 975 सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त निर्णय व आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी ने कानूनी बिन्दुओं पर तर्क देते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अपीलीय पत्रावली व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 03.08.2016 को सुनवाई हेतु विचाराधीन था। उक्त पत्रावली को बिना किसी नोटिस सूचना पत्र पक्षकारों को तामिल करवाये दिनांक 15.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प सांखली में नियत कर दी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना प्रथम बार लोक अदालत में प्रस्तुत करने पर उनके प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुये वादपत्र को प्रतिवादी के अभाव में अबेट किये जाने के निर्णय व आदेश पारित कर दिये गये। लोक अदालत में अपीलांट्गण वादीगण सूचना के अभाव में उपस्थित नहीं हुये। पक्षकारों की अनुपस्थिति में निर्णय व आदेश पारित कर दिये गये जो लोक अदालत की भावना के विरूद्ध है। अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत-2008(2) आर0एल0डब्ल्यू0 975 सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण में भी चिस्पा होता है। अपीलांट्गण वादीगण को अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर सुना जाना आवश्यक था किन्तु उन्हें कायम मुकामी का कोई अवसर दिये बिना निर्णय व आदेश पारित किया जाना विधिविरूद्ध है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा प्रकरण संख्या 124/2012 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 15.06.2016 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामों सहित उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जाप्ता दिवानी के प्रावधानानुसार अजसरे नव निर्णय पारित किये जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

13/07/2023.

(गितेश श्री मालवीय) अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)